23 7/18

पत्रा० मिसल तलबी आवेदन पर आज पेश हुई। अपीला० एवं स्वयं अपीला० हाजिर। रेस्पोडेन्ट नं० 1 की ओर से वकील श्री कालूराम सैनी ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पो० नं० 1 स्वयं हाजिर। जवाब आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि विक्रीत भूमि का कोई प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा सम्भला दिया है अतः विक्री० भूमि का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया जावे। इसके बहस वकील उभय पक्ष सुनी एव

र. किशन

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण सं० 1507 में वर्णित भूमियों को पश्चिमी रजिस्टर्ड विपक्ष पक्ष कर लिया जिसका नामान्तरकरण सं० 1507 नहीं किया गया परन्तु ग्राम पेशपट हुआ पट में लाकर कि "विपक्षीगण को उनकी मृतक माता से हुआ पैतृक विवादित भूमि पर कब्जा नहीं दिये विवाद होने के कारण नामा० रद्द किया जाता है।

विपक्षी द्वारा न्यायालय समक्ष में स्वयं उपस्थित आकर जवाब आक्षेप पेश किया गया है कि उनके विपक्षित भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा क्रेता को दिलाया दिया है विपक्षित भूमि का नामान्तरकरण क्रेताओं के पक्ष में किया जावे।

अतः अपीलान्ट एवं विपक्षी की पाकर ग्राम पेशपट पुरोहित का हाल का नामान्तरकरण सं० 1507 दिनांक 20.11.14 को रद्द किया जाकर तहसीलदार लोकर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार नामा० की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 23-7-2015 को हमारे हस्ताक्षर सुनाया गया। पत्रा० फैसला सुनकर दोनों पक्षों को एक एक दो फोटो प्रति दी।

उपखण्ड अधिकारी सीक